समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

P 1315-PBR-17 (4)

1. औंकार [सिंह] प्रसाद आत्मज श्री ~~नर्मदाप्रसाद~~ नर्मदाप्रसाद रघुवंशी
2. हृदयराम आत्मज श्री धनीराम निवासीगण ग्राम खिरेटी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र.

.............आवेदकगण

श्री सुनील सिंह पार्षद
द्वारा आज दि. 3-5-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

महेन्द्र सिंह आत्मज सुदंरलाल रघुवंशी निवासी बेरखेडी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. ।

..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत पारित नायव तहसीलदार टप्पा , देवरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन के प्रकरण क 27/अ–12/08–09 में पारित आदेश दिनांक 8.7.2010 के विरूद्ध।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1315–पीबीआर/17 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 8–7–10 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 3–5–17 को 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब के सम्बंध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह सद्भावविक कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रत्यके दिन के विलम्ब का कारण भी अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	